तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की तामील में जारी तारीख हुक्म
11/02/20	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना को दोहराते हुए बताया की प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थीगण 1 ता 6 के पिता व 7 ता 10 के मृतक दादा अमरसिंह के नाम पट 2SD के पन्ना 33/33 के ख०नं० 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 21.10 बीघा रकबा मुश्तरका आराजी होकर व ख०नं० 15 का 1.00 बीघा खाता पेटे में आवंटित होकर कुल 22.10 बीघा रकबा दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के दादा के कब्जा काश्त में चली आ रही थी। जो बाद में खातेदारी दर्ज हो गयी। प्रार्थीगण के दादा ने अपने जीवनकाल में ही अपने नाम के रकबा उचित व्यवस्था कर दी थी, प्रार्थीगण के दादा ने अपनी स्वेच्छा से व परिवार की सहमति से उक्त दौरान हक में पे पट 2SD के पं०नं० 33/33 के ख०नं० 1/1.00, ख०नं० 7 ता 10/4.00, 5/0.15 इस प्रकार कुल 5.15 बीघा रकबा की वसीयत दिनांक 14.3.2008 को प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर उप पंजीयक के समक्ष कराई थी। प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु दिनांक 21.11.2010 को हो गयी थी तथा पिता की मृत्यु पहले हो चुकी थी। दादा की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने जैरपाद रकबा विरासतन दर्ज करवा लिया। उक्त विरासतन इंतकाल गैर कानूनी है। क्योंकि उक्त रकबा में प्रार्थीगण के पक्ष में वसीयतशुदा रकबा भी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गया। प्रार्थीगण वसीयतशुदा रकबा की घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने उक्त रकबा को सुधारा है व लगातार किया है। अप्रार्थीगण धमकी दे रहे है की वे प्रार्थीगण के कब्जा में घुसेंगे, जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जा में घुसने का कोई हक नहीं है। इसलिये प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक पाबंद किया जावे की वो पट 2 एसडी के पं०नं० 33/33 के ख०नं० 1/0.253, 7 ता 10/0.253, 15/0.190 हे० कुल 1.453 हे० रकबा को रहन, बैंक से हस्तांतरण ना करें व अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी दखल ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवावे व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे।	

फर्द अहकाम

प्रकरण सं.................../

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वकील अपीलार्थी सं.-2 ने बताया कि प्रार्थिया ने वसीयत के माध्यम से अनुतोष चाहा है। वसीयत को साबित नहीं करवाया है। वसीयत को साबित नहीं करने से पहले अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जैसा खसरा संयुक्त खाता में है तथा प्रार्थिया के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थना निरस्त किया जावे।	
	वकील उभय पक्ष की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी सम्वत 2068-71 के अनुसार पटवार 25D के ख.नं0 33/33(36) में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 10 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया ने अभिलिखित हुए रजिस्टर्ड वसीयत दि0 14.03.2008 की घोषणा चाही है जो कि दावा में गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना है। यदि अप्रार्थिया ने उक्त खसरा बेचान कर दिया तो प्रार्थिया को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। उक्त खसरा संयुक्त खाता में है इसलिये विशेष हालात पर निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थिया आँशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।	
	उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया आँशिक स्वीकार कर अप्रार्थिया को पाबंद किया जाता है कि वे मूल दावा के निर्णय तक पटवार 25 डी. ख.नं0 33/33(36) किता 1 ता 14, 16 ता 25, 15 की 5.6940 है0 क्षेत्र में से 1.455 है0 भूमि को बेचान या हस्तांतरण न करें। पत्रावली मूल के साथ शामिल/दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.25 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: